उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 24/2017/215/92-2-17-66जॉच/2015

लखनऊ:: दिनांक:: 03 फरवरी,2017

कार्यालय-ज्ञाप

वर्ष 2013-14 में जनपद चित्रकूट के 22 चयनित ग्रामों मे से 12 ग्रामों के कार्यो हेतु प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति में सीमेंट की दरों में अधिक दरें स्वीकृत करने के कारण परिलक्षित रू0 5,94,273.00 की शासकीय क्षति के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-28/2016/1215/92-2-16-66(जांच)/2015 दिनांक 29.06.2016 द्वारा श्री नियाज अहमद, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री नियाज अहमद अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 31.07.2016 को सेवानिवृत्त हो गये है। अतएव अपचारी अधिकारी, श्री नियाज अहमद के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम'-7 के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 29.06.2016 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा

प्रमुख सचिव।

संख्या- 24/2017/ 215 (1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री नियाज अहमद, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट (सम्प्रति सेवानिवृत) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in